विजन कुमार पाण्डेय

नदी जोड़ो परियोजना के तकनीकी महत्व

नदी जोड़ो परियोजना के तहत भारत की 60 नदियों को जोड़ा जाएगा जिसमें गंगा नदी भी शामिल है। उम्मीद है कि इस परियोजना की मदद से अनिश्चित मानसूनी बारिश पर किसानों की निर्भरता में कटौती आएगी और सिंचाई के लिए खेती योग्य भूमि में भी वृद्धि होगी। इस परियोजना को तीन भागों में विभाजित किया गया हैः उत्तर हिमालयी नदी जोड़ो घटक; दक्षिणी प्रायद्वीपीय घटक और 2005 से शुरू अंतरराज्यीय नदी जोड़ो घटक।

जल बिना मानव जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। आज नदियां रेत में छिपती जा रही हैं। परिंदे प्यासे से भटक रहे हैं। शुद्ध जल की स्थिति दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। पूरा विश्व जल बचाओ अभियान के साथ-साथ नई तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। नदी जोड़ो परियोजना भी इसी का एक भाग है। नदी जोड़ो परियोजना एक सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना होता है। इससे किसानों को जल के लिए मानसून पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही बाढ़ या सूखे के समय पानी की अधिकता या कमी को दूर किया जा सकेगा। आज विश्व में जितना भी पानी उपलब्ध है उसका केवल चार फीसदी ही भारत के पास है जबकि भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का लगभग 18 फीसदी है। पानी की बर्बादी का हाल यह है कि हर साल करोड़ों क्यूबिक क्यूसेक पानी बहकर समुद्र में चला जाता है और भारत को केवल 4 फीसदी पानी से ही अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। दरअसल हर योजना के दो पक्ष होते हैं परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसका लाभ कितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा।

केन-बेतवा परियोजना

हमारे देश में गर्मियों का मौसम आया नहीं कि पानी की कमी की चिंता सताने लगती है। पानी की उपलब्धता को लेकर हर साल योजनाएँ बनती हैं। देश में छोटी-बड़ी नदियों, झीलों और तालाबों आदि में पानी की असमान उपलब्धता की वज़ह से यह समस्या उत्पन्न होती है। इसके समाधान के लिए ही नदियों को आपस में जोड़ने की अवधारणा का जन्म हुआ। इस बार के केंद्रीय बजट में केन-बेतवा जोड़ परियोजना के लिए एक हजार चार सौ करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। जल संकट की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से तैयार की गई केन-बेतवा परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के लिए पिछले साल मार्च में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से एक करार हुआ था। इस परियोजना पर करीब चवालीस हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

गौरतलब है कि केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर चार सौ सत्ताईस किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद उत्तर प्रदेश में बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, जबकि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन से निकल कर पांच सौ छिहत्तर किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र तय करके उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश राज्य की एक मुख्य नदी है। इसका प्राचीन नाम बेत्रवती है। यह मध्य प्रदेश की पूजनीय नदी है। यह भोपाल, विदिशा, गंजबासौदा, बीना कुरवई, ओरछा जैसे जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में बहती है। इस परियोजना के तहत दोनों नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए दो सौ इक्कीस किलोमीटर लंबी लाइन नहर बनेगी, जिससे अधिक जल राशि वाली केन नदी का पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लाभ पहुँचेगा

और वहाँ सिंचाई, जल-विद्युत और पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी।

नदियों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

बेतवा नदी का अपना एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि सांची और विदिशा जैसे सांस्कृतिक नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। उधर, केन नदी अनेक रोचक प्रसंगों से जुड़ी है। महाभारत में केन नामक कन्या का उल्लेख है। केन नदी इसलिए भी विशिष्ट है कि इसमें अपनी तरह का अनूठा शजर नामक पत्थर पाया जाता है जो ईरान में ऊंचे दामों पर बिकता है। जानकारों का कहना है कि सारी दुनिया में यह पत्थर केवल इसी नदी में पाया जाता है। उम्मीद है कि केन और बेतवा नदी को जोड़े जाने के बाद उस बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा, जो प्रायः हर गर्मी में अकाल का सामना करता है।

बेतवा नदी का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है।

एक समय था जब हमारे देश में पेयजल की कोई कमी नहीं थी। जगह-जगह पाताल तोड़ कुएं, बावड़ी तथा ट्यूबेल हुआ करते थे। लोगों को पीने का शुद्ध जल आसानी से प्राप्त हो जाता था। पशुओं के लिए भी जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता था। प्राचीन सभ्यताएं भी नदियों के किनारे विकसित हुई क्योंकि वहां उन्हें आसानी से पानी मिल जाता था। पानी की कमी ना होने का प्रमुख कारण था कि वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुआ करती थी। कभी-कभी तो दस से पंद्रह दिनों तक लगातार बारिश हुआ करती थी। यह जल पृथ्वी के अंदर चला जाता था। इसलिए हमारी पृथ्वी का जल स्तर सदैव ऊंचा बना रहता था। आज पक्की सड़कें बन जाने के कारण बहुत सारा पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। उपजाऊ जमीनों पर पक्के मकान बन गए। लगातार पेड़ पौधे काटकर मनुष्य अपने रोजाना के काम में इसका इस्तेमाल करने लगा। इसी कारण वर्षा की मात्रा में भारी गिरावट आ गई। अब तो भूमिगत जल का संकट भी एक अत्यंत खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। कहीं-कहीं तो जल स्तर 1 मीटर प्रतिवर्ष की दर से गिर रहा है। इसलिए जल संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण मांग है। 10 वर्ष पहले भारतवर्ष में कुल 15000 नदियां प्रवाहित हो रही थी जिसमें से तकरीबन 4500 नदियां जल विहीन हो चुकी हैं। अगर पानी ना बरसे तो ये सूखी पड़ी रहती हैं। आजादी के बाद से देशभर में दो तिहाई तालाब, झील, कुएं तथा झरने आदि पूर्णतः सूख चुके हैं। अगर हमें मानव सभ्यता को बचाए रखना है तो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और जल को संरक्षित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए।

नदी जोड़ो परियोजना की पृष्ठभूमि

नदी जोड़ो परियोजना के तहत भारत की 60 नदियों को जोड़ा जाएगा जिसमें गंगा नदी भी शामिल है। उम्मीद है कि इस परियोजना की मदद से अनिश्चित मानसूनी बारिश पर किसानों की निर्भरता में कटौती आएगी और सिंचाई के लिए खेती योग्य भूमि में भी वृद्धि होगी। इस परियोजना को तीन भागों में विभाजित किया गया हैः उत्तर हिमालयी नदी जोड़ो घटक; दक्षिणी प्रायद्वीपीय घटक और 2005 से शुरू अंतरराज्यीय नदी जोड़ो घटक। इस परियोजना को भारत के राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए), जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत प्रबंधित किया जा रहा है। भारत में नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। लेकिन तब से अब तक इस मुद्दे पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। दरअसल, राज्यों के बीच असहमति, और कानूनी प्रावधान का न होना तथा पर्यावरणीय चिंता इसकी राह में बाधाएँ बनकर सामने आती रही हैं। जुलाई 2014 में केंद्र सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी थी। सन 1971-72 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री के. एल. राव ने गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन इस कार्य की व्यावहारिक दिक्कतों और उपयोगिता पर लगे प्रश्नचिन्ह ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। नब्बे के दशक में नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने और देश-समाज पर पड़ने वाले उसके असर के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन भी हुआ था। 13 अक्टूबर 2002 को भारत सरकार ने अमृत क्रांति के रूप में नदी संपर्क योजना का प्रारूप पारित किया जिसमें तीन दर्जन से अधिक नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव था। इस योजना में नदियों के बीच बांध और जल भंडारण के लिए जलाशय बनाने जैसे प्रस्ताव भी शामिल थे। फिर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह नदियों को जोड़ने की योजना को तैयार कर 2015 तक उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। लेकिन नदियों को जोड़ने की दिशा में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। इसके कई कारण रहे जो इस प्रकार है।

नदियों को जोड़ने की दिशा में बाधाएं

हर परियोजना के लाभ के साथ ही कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। नदियों को मनुष्यों और अन्य समस्त जीव-जगत की जीवन-रेखा माना जाता है। दुनिया की तमाम बड़ी मानव-सभ्यताएँ किसी-न-किसी नदी के किनारे ही विकसित हुईं। उनके लिए सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत

नदियाँ ही रही। इसके अलावा, जलमार्गों को परिवहन का सबसे किफायती माध्यम माना जाता है। साथ ही नदियों के साथ लाखों लोगों की आजीविका भी जुड़ी रहती है। ऐसे में कई नदियों को जोड़कर पानी की समस्या कम की जा सकती है। लेकिन विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों ने भी नदी जोड़ने की दिशा में बाधाएं पैदा की हैं। नदी जोड़ों परियोजना एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना है। लेकिन राज्यों के बीच पानी को लेकर जारी विवाद नदियों को जोड़ने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। नदियों को आपस में जोड़ना अपने आप में एक बेहद कठिन काम है, पर यह मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब संबंधित राज्य पानी के बँटवारे को लेकर आपस में उलझ जाते हैं। विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल बँटवारे को लेकर आज भी विवाद चल रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि विभिन्न ट्रिब्यूनल्स और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी इसे सुलझाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिये कि राज्यों से विचार-विमर्श के बाद तुरंत एक ऐसी राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण करे, जो भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन और जल के बँटवारे से संबंधित विवादों को लेकर पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं का समाधान कर सके। इन सुधारों पर कार्य करने के बाद ही नदी जोड़ो जैसी बेहद खर्चीली परियोजना को अमल में लाया जाना चाहिये।

पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की पहल पर 'अंतर प्रवाह क्षेत्र जल अंतरण' विषय पर एक रिपोर्ट तैयार हुई थी। इसके अनुसार तीस नहरें, तीन हजार जलाशयों और चौंतीस हजार मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं तैयार होनी थी। सन 2002 में इस संपूर्ण परियोजना की लागत बारह करोड़ तीस लाख डालर आंकी गई थी। यह लागत इतने वर्षों बाद निश्चित रूप से कई गुना बढ़ गई है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए किसी एक परियोजना पर इतना व्यय वहन कर पाना आसान नहीं होता। इस कारण से भी बहुत सारी परियोजनाएं जस की तस धरी रह जाती हैं।

सन् 2022-23 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने केन-बेतवा परियोजना के लिए एक हजार चार सौ करोड़ रुपए देने के साथ ही पांच नदियों को परस्पर जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा था। इनमें तीन प्रस्तावित योजनाएं दक्षिण भारतीय नदियों से संबंधित हैं। बजट प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इन परियोजनाओं के लिए उन राज्यों की सहमति आवश्यक होगी, जिन राज्यों में वह नदियां बहती हैं। लेकिन दक्षिण भारत में अभी से इसके विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। इस विषय पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्र की घोषणा के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नदियों से जुड़े राज्यों के बीच पंचाटों के फैसले के जरिए पानी का बंटवारा होता है। ऐसे में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव नए विवाद खड़े करेगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी प्रस्ताव के विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत असर

पर्यावरणविदों का मानना है कि नदियों को परस्पर जोड़ने से उनके पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि हर नदी का अपना विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है और नदियों को जोड़ने से किसी नदी विशेष के जल में रहने वाले जीवों के सामने अस्तित्व का संकट भी पैदा हो सकता है। नदियों में सभी मृत जीवों और पौधों को खाने वाले जीवों के तेजी से घटने और कई प्रजातियों के विलुप्त होने के काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पूरी दुनिया में, ऐसे जीवों की आबादी घट रही है और खतरनाक दर से गायब हो रही हैं जो मृत जानवरों, पौधे के अवशेष, कार्बनिक पदार्थो को खाते है एवं उनका सफाया करते हैं। इसके अलावा धरती की सतह पर गिरे वर्षा जल, जो नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है, इसके संरक्षण के लिए भी नए जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। देश के एक बड़े हिस्से में जल संकट का एक कारण यह भी है कि भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। जब तक उन इलाकों में भूजल स्तर को बढ़ाने के प्रयास नहीं होंगे, जल उपलब्धता की दिशा में पनपे संकट का सटीक समाधान नहीं हो सकता।

इस बात पर भी ध्यान देना है कि देश में सतह पर मौजूद करीब सात करोड़ क्यूबिक मीटर जल में से केवल पैंसठ प्रतिशत जल का ही उपयोग हो पाता है, शेष जल समुद्र में चला जाता है। समुद्र में जाने वाले जल का मानव हित में उपयोग आवश्यक है। नदियों को यदि आपस में जोड़ा जाता है, तो उसके इस दिशा में कुछ फायदे हो सकते हैं। इससे निर्धारित तरीके से पानी का स्थानांतरण संभव हो सकेगा और सूखे व बाढ़ से राहत मिलेगी, सिंचाई योग्य जमीन में पंद्रह प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है, जल परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा और नए पर्यटन केंद्र भी विकसित हो सकते हैं। लेकिन नदियों को जोड़ने के बाद जल व्यवस्थापन के लिए बनाए गए बांधों से भूमि दलदली होगी और उससे खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी होगी। इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए ही जल परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष

नदियां शुरू से हमारी प्रकृति का अभिन्न अंग मानी जाती रही हैं, तथा इनमें किसी भी प्रकार का मानव हस्तक्षेप विनाशकारी भी हो सकता है। नदी जोड़ो परियोजना को पूरा करने हेतु कई बड़े बाँध, नहरें और जलाशय बनाने होंगे जिससे आस-पास की भूमि दलदली हो जाएगी और कृषि योग्य नहीं रहेगी। इससे खाद्यान उत्पादन में भी कमी आ सकती है। कहाँ से कितना पानी लाना है, किस नहर को स्थानांतरित करना है, इसके लिए पर्याप्त अध्ययन और शोध करना जरूरी होगा। इसलिए नदियों को जोड़ने से होने वाले आर्थिक लाभों का मूल्यांकन करते हुए उसे प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी को नुकसान के मुकाबले तोलना चाहिए, उसके बाद ही नदियों को जोड़ने की नई परियोजनाओं पर काम शुरू करना चाहिए। नदियों को जोड़ना उपयोगी कदम हो सकता है, लेकिन उसके पहले विशेषज्ञों और नीति नियंताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे, वरना विकास की राह में नए अवरोध भी खड़े होते देर नहीं लगेगी।

भारत जैसे भू-सांस्कृतिक विविधता वाले देश में जहां पर सिंचाई और पानी पीने के लिए प्रबंध अलग-अलग स्रोतों से होता रहा हो, जहां इतनी आबादी हो, वहां इतनी बड़ी परियोजना को शुरू करने से पहले केंद्र सरकार अथवा शोध कर्ताओं को विचार विमर्श कर लेना आवश्यक होगा ताकि बाद के दुष्परिणामों से बचा जा सके। दूसरी तरफ सूखे ग्रस्त इलाके को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां हर साल बाढ़ आ जाती है, वहां सरकार को कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा। लोगों को पानी के महत्व को समझाना भी जरूरी होगा। हर व्यक्ति को नदियों की विशेषता बताना, कैसे पानी को इस्तेमाल किया जाए की जानकारी का अभियान चलाना होगा। यह देश हमारा है, हमें यहीं जीना और मरना है इसलिए इसके प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल सावधानी से करें जिससे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रह सके। प्राकृतिक साधन के इस्तेमाल के साथ-साथ हमें पानी के महत्व को भी समझना होगा जिससे कोई प्यासा न रह जाए।

संपर्क करें:
विजन कुमार पाण्डेय
हाउस नं. 70, बड़ी बाग कॉलोनी
निकट लंका मैदान
गाजीपुर-233 001
मो. 6265083116, 9450438017